राजस्व अपील संख्या 162 / 2023

अनवान

औंकार सिंह बनाम राज0 सरकार

दिनांक 15.06.2023

उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लोहावट, जिला जोधपुर के द्वारा पारित आदेश क्रमांक प्रगासं / 2021 / 600 दिनांक 6.12.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया हुआ होने से अपीलांट अधिवक्ता की स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन आदेश दिनांक 06–12–2021 का अवलोकन किया एवं पत्रावली के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात आदि का भी अध्ययन किया तथा अपीलांट अधिवक्ता द्वारा चाही गई इस्तदुआ पर भी मनन किया। अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा भी कथन किया कि न्यायालय हाजा के द्वारा इसी अपीलाधीन आदेश दिनांक 6.12.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत राजस्व अपील संख्या 327 / 2022 अनवान छोटकंवर बनाम राज0 सरकार में दिनांक 27.06.2022 को निर्णय पारित करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया गया कि वे अपीलांट / हितबद्ध पक्षकारो को नोटिस जारी कर तामिली पश्चात उनकी उपस्थिति मे मौका निरीक्षण करें। वक्त मौका निरीक्षण संबंधित पक्षकारो / हितबद्ध लोगो की उपस्थिति मे तहसीलदार द्वारा मौका निरीक्षण करे। वक्त मौका निरीक्षण सम्बन्धित हितबद्ध लोगों / पक्षकारो की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट व मौका नक्शा तैयार किया जावें। इसके बाद अधिनस्थ न्यायालय उक्तानुसार मौका रिपोर्ट व मौका नक्शा तथा अपीलान्ट / हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई पश्चात प्रकरण का विधिवत निस्तारण करें, साथ ही अगर आवश्यक हो तो पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। उक्त निर्देशो के साथ हस्तगत अपील का निस्तारण किया गया है। अतः उक्त आदेश का अन्य अपील संख्या 327 / 2022 अनवान छोटकंवर बनाम सरकार मे दिनांक 27.06.2022 मे इस न्यायालय द्वारा निर्णय पारित कर दिया गया है। उक्त निर्णय मे दिये गये निदेशो अनुरूप ही यह निणर्य मान्य होगा। पत्रावली फेसलशुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय आज खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया

अति. संभागीय आयुक्त,
जोधपुर